संख्या-3/2023/1049/23-07-2022/001-36-एसए-2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता बजट-क वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊःदिनांकः 13 जनवरी, 2023

विषयः- एम0ए0सी0वाद सं0-205/2017 हरीश पाल सिंह बनाम श्री ओमप्रकाश, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद में न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 तथा एफ0ए0एफ0ओ0 संख्या-159/2021 अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद बनाम श्री हरीश पाल सिंह व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.07.2022 के अनुपालन में डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पंत्राक-7318/बी0जी0/245बी(10)/2022-23, दिनांक 04.11.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एम0ए0सी0वाद सं0-205/ 2017 हरीश पाल सिंह बनाम श्री ओमप्रकाश, अधिक्षण अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद में न्यायालय मोटर दुद्र्यटना दावा अधिकारण रामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 तथा एफ0ए0एफ0ओ0 संख्या-159/2021 अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0खण्ड, यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद बनाम श्री हरीश पाल सिंह व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.07.2022 के अनुपालन में धनराशि रूपये 5,00,905.00/-(रूपये पॉच लाख नौ सौ पॉच मात्र) का आवंटन डिक्रिटल मद से किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-

(1) संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, वि/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद द्वारा अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नही हुआ है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 5,00,905.00/-(रूपये पॉच लाख नौ सौ पॉच मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-3/2023/1049(1)/23-07-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0।
2- जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0,लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मुरादाबाद।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2) लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।
8- अधीक्षण अभियन्ता, 47 वॉ(वि0/यां0) वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।
9- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।